संख्या-35/2021/428/18-2-2021

प्रेषक

संजीव मित्तल
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग2 लखनऊ : दिनांक: 23 सितम्बर, 2021

विषयः-जिला/मण्डलीय स्तर पर उद्योग बन्धु की बैठकें नियमित रूप से आयोजित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत ही हैं कि स्थानीय स्तर पर उद्यमियों/व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण/समाधान हेतु जिला/मण्डल स्तर पर उद्योग बन्धु समिति का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से उद्यमियों एवं व्यापारियों की स्थानीय स्तर की समस्याओं का निराकरण त्वरित रूप से स्थानीय स्तर पर ही सम्भव होता है। जिला स्तर पर समस्या के समाधान न होने की दशा में समस्याओं का निराकरण/समाधान मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति के माध्यम से किया जा सकता है।

2- संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों में जिला उद्योग बन्धु समिति की नियमित मासिक बैठक आहूत नहीं की जा रही है जिसके कारण स्थानीय स्तर पर उद्यमियों/व्यापारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। फलतः इन उद्यमियों/व्यापारियों द्वारा इन समस्याओं के निराकरण/समाधान हेतु सीधे शासन का ध्यानाकर्षण किया जाता है। आप भली-भांति अवगत है कि अधिकतर समस्याओं/मांगों का निराकरण/समाधान जिला उद्योग बन्धु समिति के माध्यम से जिला स्तर पर ही सम्भव है, यदि किसी समस्या का समाधान/निराकरण जिला स्तर पर सम्भव न हो तो इसे मण्डल स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक में रखकर समस्या का समाधान/निराकरण कराया जा सकता है।

3- यह भी उल्लेखनीय है कि जिला उद्योग बन्धु समिति की बैठकों में जनपद के सभी औद्योगिक/व्यापारिक संगठनों का व्यापक प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है जिससे कि अधिक से अधिक प्रकरणों का स्थानीय स्तर पर ही निराकरण हो सके।

4- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया व्यक्तिगत रूचि लेते हुये जिला उद्योग बन्धु की मासिक बैठकें नियमित रूप से आहूत करने एवं व्यापारियों/उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण कराने का कष्ट करें।

भवदीय

संजीव मित्तल
अवस्थापना एवं औद्योगिक
विकास आयुक्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ0प्र0, कानपुर।

2- आयुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी इन्वेस्ट यू0पी, लखनऊ।

आज्ञा से

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।